

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

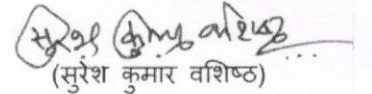
आदेश

नई दिल्ली, तारीख:- 14 अगस्त, 2018

सा.का.नि .....(अ)/आवश्यक वस्तु/चीनी:- केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लेवी चीनी प्रदाय (नियंत्रण) आदेश, 1979 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम लेवी चीनी आपूर्ति (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2018 है।  
(2) इस आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. लेवी चीनी (आपूर्ति) नियंत्रण आदेश, 1979 में, खंड 2 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- "3. (1) जहां ऐसा कोई उत्पादक या आयातक अथवा मान्यता प्राप्त व्यापारी जो खंड 2 के अधीन लेवी चीनी की सुपुर्दगी करने के लिए बाध्य है, किसी भी चीनी मौसम के संबंध में अपनी बाध्यता पूरी करने में असफल होता है, उसके पास उपखंड (2) में यथाउपबंधित के अनुसार लेवी चीनी की वास्तविक सुपुर्दगी के बदले में धन का संदाय करके बाध्यता को पूरा करने का विकल्प होगा।  
(2) उप-खंड (1) के अधीन संदत्त किया जाने वाला धन खुले बाजार से चीनी की बिक्री से हुई वास्तविक वसूली और किसी विशिष्ट चीनी मौसम के लिए अधिसूचित लेवी चीनी कीमत के अंतरीयता से निकाला जाएगा जो लेवी बाध्यता संबंधित है।"

[फाइल सं. 1(13)/2018-एसपी-1]

  
(सुरेश कुमार वशिष्ठ)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्या सा.का.नि. 696 (अ)/आव/चीनी, तारीख 17 दिसंबर, 1979 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :

1. सा.का.नि. 420 (ई) 135 दिनांक 31-5-1984 द्वारा खंड 2 का उप-खंड (1) प्रतिस्थापित किया गया
2. सा.का.नि. 135 (ई) दिनांक 17-2-2000, द्वारा "उत्पादक शब्द के लिए प्रतिस्थापित किया गया
3. सा.का.नि. 420 (ई) दिनांक 17-2-2000 के द्वारा मद (ख) प्रति स्थापित की गई
4. सा.का.नि. 135 (ई) दिनांक 17-2-2000 के द्वारा उप-खंड (1-क) अन्तः स्थापित किया गया
5. सा.का.नि. 135 (ई) दिनांक 17-2-2000 द्वारा "कृषि और सिंचाई मंत्रालय, खाद्य विभाग" शब्दों के लिए शब्द प्रतिस्थापित किए।